न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :— श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 65/2024

जीसीएमएस नं. :— 2024/94

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
अरूण कुमार चौधरी पुत्र श्रीरामसिंह जाति जाट निवासी बांकलिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।		तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता : दर्ज दिनांक :— 19.03.2024

श्री बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

"आदेश" दिनांक : 28.05.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि ग्राम बांकलिया तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरानम्बर 505/1 रकबा 1.1002 हैक्टयर किस्म चाही द्वितीय, खसरानम्बर 506/1 रकबा 2.5969 हैक्टयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.6971 हैक्टयर भूमि आयी हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसमें प्रार्थी का 1/8 वां हिस्सा है प्रार्थी संयुक्त रूप से अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नही है इसलिए राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही रही । प्रार्थी ने हाल ही में किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि प्रार्थी के अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15, 276, 28 कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.1129 हैक्टयर में प्रार्थी का नाम अरूण कुमार चौधरी है इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम रतनसिंह गलत रूप से दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त करवाना पड़ेगा। इस पर प्रार्थी ने 17.03.2024 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर अप्रार्थी से अपना नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय से ही करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा हैं। प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम अरूण कुमार चौधरी दर्ज है प्रार्थी को बोल–चाल भाषा में रतनसिंह नाम से भी जाना पुकारा जाता है इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम रतनसिंह सेवन से त्रुटिवंश गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम अरूण कुमार चौधरी दर्ज है इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दुरूस्त करवाकर रतनसिंह के स्थान पर अरूण कुमार चौधरी करवाना चाहता हैं। रतनसिंह व अरूण कुमार चौधरी प्रार्थी ही है। सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम अरूण कुमार चौधरी दर्ज है इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दुरूस्त करवाकर रतनसिंह के स्थान पर अरूण कुमार चौधरी करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 505/1 रकबा 1.1002 हैक्टयर चाही द्वितीय,

खसरानम्बर 506/1 रकबा 2.5969 हैक्टयर चाही द्वितीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.6971 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम दुरूस्त फरमाया जाकर रतनसिंह के स्थान पर अरूण कुमार चौधरी दुरूस्ती फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जो निम्न प्रकार हैं – ग्राम बांकलिया के खसरा नम्बर 505/1 रकबा 1.1002 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506/1 रकबा 2.5969 हैक्टयर में प्रार्थी का नाम रतनसिंह गलत रूप से अंकित होना एवं सही नाम अरूण कुमार दर्ज करने का निवेदन करते हुए रेकर्ड दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड में अरूण कुमार चौधरी, ग्राम बांकलिया के अन्य खसरा नम्बर 15, 276, 28 में भी प्रार्थी का नाम अरूण कुमार चौधरी अंकित हैं। इस आधार पर प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अपना नाम रतनसिंह के स्थान पर अरूण कुमार चौधरी दर्ज करवाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद, शपथ पत्र, आधार कार्ड, अनुसार प्रार्थी का सही नाम अरूण कुमार हैं। अन्य खसरा नम्बर 502, 50, 504, 15, 276, 26 में प्रार्थी का नाम रतनसिंह से अरूण कुमार चौधरी श्रीमान न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 42/2015 निर्णय 16.06.2015 द्वारा नामान्तरण संख्या 966/15.01.2020 द्वारा दर्ज किया जा चुका हैं। हल्का पटवारी बुचकलां की रिपोर्ट अनुसार दोनो एक ही व्यक्ति है अतः वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम रतनसिंह पुत्र श्रीराम सिंह (गलत नाम) के स्थान पर अरूण कुमार पुत्र श्रीराम सिंह (सही नाम) दर्ज किया जाना उचित हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनिमय 1956 काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है ग्राम बांकलिया के खसरानम्बर 505/1, 506/1 में दर्ज नाम रतनसिंह के स्थान पर अरूण कुमार दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर